Cr264/13

1-3-19 The accd is absent.
→ 29-3-19 for admission.
(Ravi)
m

22-8-19 The accd is absent.
→ 23-11-19 for admn
(Ravi)
m

13.11.19 अभियुक्त रवि कुमार अपने अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिसकी एक प्रति विद्वान APO को दी गई है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। वाद नामंजूर हेतु नियत था परंतु दि. 7-02-19 को पैरवी के अभाव में वह पत्र खारिज हो गया था। किसी भी वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। प्रथम उपस्थिति है। वाद निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। कभी भी वह पत्र का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह पत्र दाखिल करने को तैयार है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना करते हैं।

लगातार